कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक फा.15 (43) सविरा/बैंक–1/97 पार्ट–3 दिनांक

आदेश

राज्य के अरबन/नागरिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 21.02.2006 द्वारा जारी सेवानियम एवं तत्क्रम में समय–समय पर जारी समस्त विभागीय आदेशों को अतिलंघित करते हुए राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 39 के अन्तर्गत मैं मंजू राजपाल, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर, राजस्थान मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के अरबन/नागरिक बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा नियम – 2025, जो संलग्न है, तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देती हूँ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मंजू राजपाल)
रजिस्ट्रार

क्रमांक फा.15 (43) सविरा/बैंक–1/97 पार्ट–3 दिनांकः
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, ...खण्ड.....(समस्त)
4. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
5. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
6. मुख्य कार्यकारी, दी अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि0.....(समस्त)
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0, जयपुर।

रजिस्ट्रार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

अध्याय–1
(प्रारम्भिक)

1 सेवा नियमों का शीर्षक एवं प्रभावशीलता

1.1 ये सेवानियम अरबन/नागरिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानियम, 2025 कहलायेंगे।

1.2 ये सेवा नियम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। इन सेवा नियमों में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर की बिना अनुमति अथवा अनुमोदन के कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

1.3 ये सेवानियम प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों या किन्हीं अन्य नियमों के तहत अस्थाई अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने हेतु नियुक्त कार्मिकों के अतिरिक्त अरबन/नागरिक सहकारी बैंकों के सभी कार्मिकों पर लागू होंगे।

1.4 इन सेवानियमों के प्रभावी होने पर बैंकों द्वारा लागू अथवा लागू माने गए पूर्व के सेवानियम स्वतः ही अप्रभावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पूर्व सेवानियमों के तहत की जा चुकी कार्रवाईयाँ तथा लम्बित कार्रवाईयाँ इन सेवानियमों के तहत की गई या की जा रही कार्रवाईयाँ ही मानी जाएगी।

2 परिभाषाएं

जब तक किसी नियम में स्पष्टतः अन्यथा उल्लेखित न हो, इन सेवा नियमों में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों का तात्पर्य निम्नानुसार समझा जायेगाः–

2.1 ''अधिनियम''से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2001 एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों से है।

2.2 ''नियम'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाईटी नियम, 2003 एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों से है।

2.3 ''रजिस्ट्रार'' से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है।

2.4 ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य बैंक के कार्मिकों के संबंध में संचालक मण्डल/प्रबंध निदेशक से होगा।

2.5 ''संचालक मण्डल'' से तात्पर्य संबंधित बैंक के संचालक मण्डल से है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

2.6 ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य संबंधित बैंक के अध्यक्ष से है। इसमें अध्यक्ष की शक्तियों का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाला उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है।

2.7 ''प्रशासक'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियमान्तर्गत बैंक में नियुक्त किये गये प्रशासक से है, जिसे संचालक मण्डल के अधिकार भी प्राप्त होगे।

2.8 ''कार्मिक'' से तात्पर्य बैंक की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी से है। इसमें ''संविदाकर्मी'' सम्मिलित नहीं होंगे।

2.9 ''बैंक'' से तात्पर्य संबंधित अरबन को–ऑपरेटिव बैंक/नागरिक सहकारी बैंक से है।

2.10 ''प्रबन्ध निदेशक'' से तात्पर्य बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है, जिसे बैंक के उप–नियमों में बैंक के सम्पूर्ण प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी माना गया है। इसकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन पश्चात् की जायेगी।

2.11 ''सरकार'' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

2.12 ''सहकारी भर्ती बोर्ड'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2001 की धारा 29 'ख' के तहत गठित सहकारी भर्ती बोर्ड से है।

2.13 ''आईबीपीएस'' से तात्पर्य बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान(इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) से है।

3 बैंक की स्टॉफ स्ट्रेन्थ

बैंक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिये संचालक मण्डल समय–समय पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी स्टाफ स्ट्रेन्थ के मानदण्डानुसार कार्मिकों के पदवार वर्गीकरण एवं तदनुसार पदों की संख्या का आंकलन कर स्टाफ स्ट्रेन्थ स्वीकृति के लिए अधिकृत होगा, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को दी जायेगी।

4 कार्मिकों का वर्गीकरण

4.1 स्थाई कार्मिक से तात्पर्य ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिसका स्थायीकरण किसी पद पर किया जा चुका है अथवा जो स्थाई पद पर लियन (अधिकार) रखता हो और यह लियन (अधिकार) समाप्त नहीं हो गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

4.2 अस्थाई कार्मिक से तात्पर्य ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिसको किसी विशेष समय तक के लिये पद का सृजन कर उस पर नियुक्त किया गया है और इसमें वे कार्मिक भी सम्मिलित हैं जिनकी अस्थायी नियुक्ति किसी स्थाई पद पर की गई है।

4.3 संविदाकर्मी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे बैंक में किसी विशेष अवधि के लिये व्यक्तिगत अनुबन्ध पर नियत पारिश्रमिक पर संविदा पर रखा गया है। बैंक में व्यक्तिगत अनुबन्ध पर बैंक/अन्य वित्त दात्री संस्था के सेवानिवृत कार्मिक को ही रखा जा सकेगा।

4.4 प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक से तात्पर्य ऐसे कार्मिक से है, जिसकी सेवाएं किसी अन्य संस्था से विशेष अवधि के लिये विशेष शर्तों पर ली गई है।

4.5 बैंक में स्वीकृत पदों के विरूद्ध उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी अनुमोदित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लिये गये कर्मचारी एजेन्सी के ही कर्मचारी होंगे। उन पर वे ही नियम व शर्तें लागू होंगी जो बैंक व एजेन्सी के मध्य तय हुई हैं।

अध्याय – 2
(भर्ती की प्रक्रिया)

5 भर्ती की सामान्य शर्तें

5.1 आयु :

सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो एवं 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमानुसार होगी।

5.2 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

बैंक में विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा पदोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव एवं संविदाकर्मी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

क्र. सं.	पदनाम		सीधी भर्ती (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता)	पदोन्नति (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव)
1.	प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अधिकारी ग्रेड 'ए' / ग्रेड 'बी')		भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश अनुसार	–
2.	अधिकारी ग्रेड 'ए'		–	स्नातक जिसे बैंक में ग्रेड 'बी' में काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो
3.	अधिकारी ग्रेड 'बी'		–	स्नातक जिसे बैंक में ग्रेड 'सी' में काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो
4.	अधिकारी ग्रेड 'सी'		–	स्नातक जिसे बैंक में ग्रेड 'डी' में काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
5	प्रबंधक आई.टी.	ग्रेड 'बी'	–	न्यूनतम योग्यता बीटेक /बीई (कम्प्यूटर सांइस)/बीसीए / बीएससी(आई.टी.) एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्क्स अनिवार्य एवं बैंक में ग्रेड 'सी' मे काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
		ग्रेड सी'	–	न्यूनतम योग्यता बीटेक /बीई (कम्प्यूटर सांइस)/बीसीए / बीएससी(आई.टी.) एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्क्स अनिवार्य एवं बैंक में ग्रेड 'डी' मे काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
6.	सहायक प्रबन्धक (अधिकारी ग्रेड 'डी')		स्नातक (कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य)	स्नातक जिसे बैंकिंग सहायक/कैशियर /लिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर में काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।
7.	बैंकिंग सहायक		स्नातक (कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य)	पदोन्नति हेतु बैंक में कम से कम 5 वर्ष कार्यानुभव प्राप्त सहायक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण हो तथा कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।

5.3 **चयन सूची :** सहकारी भर्ती बोर्ड/आईबीपीएस द्वारा आरक्षण के नियमों की पालना करते हुए रिक्त पदों की संख्या के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

पर चयन सूची तैयार की जायेगी। इसकी सूचना संबंधित बैंक को दी जायेगी, जिसके अनुसार बैंक के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये जायेंगे।

5.4 **सेवा बंधक पत्र :** नियुक्ति हेतु अभिशंषित अभ्यर्थियों की सेवाएँ ज्वाईन करने से पूर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के साथ ही दो वर्ष का सेवाबंधक–पत्र भी निष्पादित कराया जायेगा। अधिकारी वर्ग के लिये सेवाबंधक–पत्र (बॉण्ड) रू. 1,00,000 एवं कार्मिक संवर्ग के लिये सेवाबंधक–पत्र (बॉण्ड) रू. 50,000 का भरवाया जायेगा, जिसमें उपर्युक्त बॉण्ड की राशि या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परिवीक्षाकाल में सेवा त्यागने से पूर्व बैंक से प्राप्त वेतन, जो भी कम हो, की वसूली किये जाने संबंधी प्रावधान अन्तर्विष्ट रहेंगे।

5.5 **नियुक्ति पत्र :** सहकारी भर्ती बोर्ड/आईबीपीएस द्वारा अभिशंषित चयन सूची बैंक को उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसके आधार पर बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा संचालक मंडल से अनुमोदनोपरांत नियुक्ति पत्र दिये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

5.6 **परिवीक्षाः** प्रत्येक नवनियुक्त कार्मिक प्रथम कार्यभार ग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। नवनियुक्त कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में बैंक के संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा परिवीक्षाकाल अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार तीन वर्षों के परिवीक्षाकाल में भी कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रकरण संचालक मण्डल/प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। परिवीक्षा अवधि में कार्मिक को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक देय होगा। नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते एवं परिलाभ देय नहीं होंगे, परन्तु कार्मिक भविष्य निधि अंशदान की नियमानुसार कटौती की जायेगी।

5.7 स्थाईकरण :सफल परिवीक्षा के पश्चात सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर कार्मिक का स्थाईकरण किया जाएगा।

नोट :– चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर/सहकारी भर्ती बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

5.8 अनुबंध पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती के अनुरूप होगी। ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वांछित कम्प्यूटर कार्य की जानकारी अनिवार्य होगी।

5.9 **आरक्षण प्रावधान :** जहाँ तक आरक्षण प्रावधानों का प्रश्न है, सीधी भर्ती/पदोन्नति के पदों पर आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन नियम व प्रावधान लागू होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

6 पदों का वर्गीकरण एवं भर्तीः

6.1 बैंक में कार्मिकों के पद स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अनुसार होंगे। बैंक में सामान्यतः निम्न पद होंगेः–

I. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अधिकारी ग्रेड 'ए'/ ग्रेड 'बी')

II. अधिकारी ग्रेड 'ए'

III. अधिकारी ग्रेड 'बी'

IV. अधिकारी ग्रेड 'सी'

V. प्रबंधक आई.टी. – बैंक के व्यवसाय अनुरूप 'बी'/'सी' ग्रेड

VI. अधिकारी ग्रेड 'डी'

VII. बैंकिंग सहायक/कैशियर/लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर

VIII. सुरक्षा गार्ड – सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से

IX. सहायक कर्मचारी – सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से

6.2 उक्त पदों को निम्नांकित प्रक्रिया से भरा जा सकेगा :–

– सीधी भर्ती से

– पदोन्नति से

– प्रतिनियुक्ति पर

– व्यक्तिगत अनुबंध से/सेवा प्रदाता संस्था से संविदा पर

6.3 बैंकिंग सहायक/सहायक कर्मचारी के स्थाई पदों पर मृतक आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनुसार राज्य सरकार के नियमों की तरह की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

7 सीधी भर्ती की प्रक्रिया :–

7.1 बैंक में अधिकारी ग्रेड 'डी' तथा बैंकिंग सहायक के पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी।

7.2 सीधी भर्ती के पदों की शैक्षणिक योग्यता प्रावधान संख्या 5.2 में वर्णितानुसार होंगी।

7.3 रिक्तियों का निर्धारण

रिक्त पदों का निर्धारण, वर्ष में रिक्त होने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष 1 अप्रेल की स्थिति में किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) बैंक में पदवार तथा राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्ग–संवर्ग वार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का विवरण संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त सीधी भर्ती की कार्यवाही हेतु सहकारी भर्ती बोर्ड अथवा आईबीपीएस को भिजवाया जायेगा, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर को भी दी जायेगी।

7.4 पदों को भरे जाने का माध्यम

क्र0 सं0	पद	पद को भरे जाने का माध्यम (सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा)
(i)	प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अधिकारी ग्रेड 'ए'/ ग्रेड 'बी')	1. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति 2. रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार बैंक के 'ए'/'बी' ग्रेड के अधिकारी को संचालक मण्डल द्वारा नियुक्ति (पदोन्नति द्वारा) 3. संविदा द्वारा **नोट :** प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से होगी।
(ii)	अधिकारी ग्रेड 'ए'	100 प्रतिशत मेरिट–कम–वरिष्ठता से ।
(iii)	अधिकारी ग्रेड 'बी'	100 प्रतिशत मेरिट–कम–वरिष्ठता से ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

क्र0 सं0	पद		पद को भरे जाने का माध्यम (सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा)
(iv)	अधिकारी ग्रेड 'सी'		100 प्रतिशत वरिष्ठता–कम–मेरिट से ।
(v)	प्रबंधक आई.टी.	ग्रेड 'बी'	100 प्रतिशत वरिष्ठता–कम–मेरिट से/संविदा पर।
		ग्रेड 'सी'	100 प्रतिशत वरिष्ठता–कम–मेरिट से/संविदा पर।
(vii)	सहायक प्रबन्धक/शाखा प्रबंधक (अधिकारी ग्रेड 'डी')		50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से
(viii)	बैंकिंग सहायक		15 प्रतिशत पदोन्नति सहायक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तथा 85 प्रतिशत सीधी भर्ती से।
(ix)	गार्ड/सुरक्षा कर्मचारी		सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से
(x)	सहायक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से

नोट :– 1. अधिकारी ग्रेड 'डी' से प्रबंधक आई.टी. ग्रेड 'सी' में पदोन्नति हेतु पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी होनी आवश्यक होगी।

2. ऐसे बैंक जिनमे विभागीय आदेश दिनांक 22.04.2022 अनुसार उच्चतम पद ग्रेड– 'ए' अथवा ग्रेड– 'बी' उनमे उच्चतम पद पर पदोन्नति मेरिट–कम–वरिष्ठता से होगी। अन्य पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता–कम–मेरिट से होगी।

7.5 चयन /पदोन्नति समिति की संरचना :–

चयन/पदोन्नति समिति कार्मिकों की पदोन्नति एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन व संविदा पर कार्मिक लेने के अधिकृत होगी। बैंक में विभिन्न पदों पर चयन/पदोन्नति हेतु समिति निम्न प्रकार होगी :–

(अ) – प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेतुः

इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

1	अध्यक्ष/प्रशासक, बैंक	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ, संबंधित खंड	सदस्य
3	रजिस्ट्रार द्वारा नामित सहकारी बैंकिंग विशेषज्ञ	सदस्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

इस हेतु उपर्युक्त तीनों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ब) – अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये–

1	अध्यक्ष/प्रशासक, बैंक	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, संबंधित खंड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	बैंक के संचालक मंडल में बैंकिंग विशेषज्ञ संचालक	सदस्य
4	रजिस्ट्रार द्वारा नामित अधिकारी (बैंकिंग विशेषज्ञ)	सदस्य
5	प्रबन्ध निदेशक (मुख्य कार्यकारी), बैंक	सदस्य सचिव

नोट :–1. उपर्युक्त में से 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें क्रम सं. 1, 2 एवं 5 की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

2. पदोन्नति की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 5 एवं 7 में वर्णित पदसोपानों के अनुसार की जायेगी।

7.6 संविदा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :

1. बैंक में संविदा कार्मिकों/अधिकारियों की नियुक्ति हेतु संचालक मण्डल अधिकृत होगा। बैंक मे व्यक्तिगत अनुबंध पर बैंक/अन्य वित्तदात्री संस्था के सेवानिवृत कार्मिकों को ही रखा जा सकेगा।
2. अनुबंध पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5.2 मे वर्णित सीधी भर्ती के अनुरूप होगी। ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वांछित कम्प्यूटर कार्य की जानकारी अनिवार्य होगी।
3. इन पदों हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

अध्याय – 3
(पदोन्नति)

8 पदोन्नति संबंधी प्रावधान

8.1 पदोन्नति की प्रक्रिया

1. पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर कार्मिकों के पदोन्नति आदेश प्रबन्ध निदेशक, बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
2. सहायक कर्मचारी से बैंकिंग सहायक पद पर पदोन्नति के समय बैंक स्तर पर अनिवार्य रूप से लिखित परीक्षा भी ली जायेगी, जिसमें वांछित कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
3. किसी पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर नियमों के अनुसार संबंधित कैडर के ऐसे कार्मिक की सूची तैयार की जाएगी, जो ऐसी पदोन्नति के योग्य हों। वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन कार्यरत ऐसे कार्मिक की सूची मान्य होगी।
4. कोई भी कार्मिक रिक्त पद से नीचे के पद पर नियमों के तहत स्थाई न होने की स्थिति में पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। साथ ही पदोन्नति पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी होनी आवश्यक होगी।
5. पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों हेतु जारी नियम लागू होंगे।
6. पदोन्नति हेतु कार्मिक के अंतिम सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर विचार किया जाएगा।
7. जिस कार्मिक के खिलाफ राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 के तहत कोई मामला विचाराधीन है, तो उसको पदोन्नति के लिये सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु जब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक पदोन्नति के लिये कार्मिक का लिफाफा बन्द रखा जाएगा तथा इन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अनुसार ही इन पर कारवाई की जायेगी। जिस कार्मिक के खिलाफ राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के तहत निर्णय होकर वसूली के आदेश दे दिए गए हैं, उसे पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपील मे निर्दोष साबित नहीं हो जाता।
8. जिस कार्मिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जाँच की जाकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो, तो उसे पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

9 **वरिष्ठता का निर्धारण** – एक ही वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पद विशेष के लिए कुल प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि एक ही वित्तीय वर्ष में किसी पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से नियुक्ति की जाती है तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया कार्मिक सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक से वरिष्ठ माना जाएगा।

अध्याय–4

(कार्मिक कल्याण एवम् मानव संसाधन)

10 सेवाभिलेख

प्रत्येक कार्मिक का सेवा अभिलेख (रिकार्ड ऑफ सर्विस) बैंक कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के अवकाशों के उपार्जन एवं उपभोग का लेखा जोखा, पद, वेतन आदि के परिवर्तन, स्थानान्तरण, दण्ड (यदि कोई दिया गया हो) इत्यादि का उल्लेख होगा।

11 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

11.1 वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक कार्मिक के द्वारा निम्न आधारों पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत किया जाएगा :–

(क) कर्तव्यपालन में निष्ठा
(ख) कार्यकुशलता
(ग) कार्यालय में अनुशासन एवं समय–पालन
(घ) बैंक कार्य के बारे में गोपनीयता
(ड़) व्यवहार में आने वाले व्यक्तियों के प्रति विनम्रता
(च) उच्चाधिकारियों के प्रति व्यवहार
(छ) कर्तव्य पालन में शीघ्रता एवं तत्परता

कार्मिक का विवरण	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी
1. बैंक प्रधान कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए		
(A) प्रबन्ध निदेशक (प्रतिनियुक्ति पर)	सहकारिता विभाग के नियमानुसार	सहकारिता विभाग के नियमानुसार
(B) प्रबन्ध निदेशक (प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त)	अध्यक्ष/प्रशासक	संचालक मण्डल/प्रशासक

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

(C) प्रधान कार्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारी/कर्मचारी	अधिकारी ग्रेड 'बी'/'सी'	प्रबन्ध निदेशक
2. बैंक शाखा के बैंकिंग सहायक /समकक्ष		
(A) अधिकारी (ग्रेड'बी'/'सी'/'डी')	अधिकारी (ग्रेड'ए'/'बी'/'सी')	प्रबन्ध निदेशक
(B) बैकिंग सहायक/ अन्य कर्मचारी	अधिकारी (ग्रेड'बी'/'सी'/'डी')	प्रबन्ध निदेशक

नोट : प्रबंध निदेशक, बैंक अपनी शाखा/प्रधान कार्यालय में उक्तानुसार अधिकारी ग्रेड 'बी'/'सी'/'डी' को प्रतिवेदक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, परन्तु किसी वरिष्ठ कार्मिक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन कनिष्ठ कार्मिक से नहीं करवाया जायेगा।

11.2 किसी भी कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की गई विपरीत टिप्पणी से संबंधित कार्मिक को सूचित किया जाएगा ताकि वह उक्त विपरीत टिप्पणी के लिए सूचना की प्राप्ति के एक माह के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण दे सके।

नोट :– वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी किये जाने पर संचालक मण्डल के समक्ष अपील की जा सकेगी।

12 अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति

1. बैंक में संबंधित संवर्ग का पद समाप्त होने या बैंक में पर्याप्त कार्य नहीं होने पर या किसी भी कार्मिक की सेवाओं की आवश्यकता बैंक के लिए उपयुक्त या लाभदायक न पाए जाने पर किसी कर्मचारी को 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा अवधि, जो भी पहले हो, पूर्ण कर लेने पर 3 माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा तीन माह के वांछित वेतन–भत्तों का भुगतान करके अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में यदि किसी भी कार्मिक का काम असन्तोषजनक पाया जाये, तो उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।
3. कोई भी कर्मचारी बैंक द्वारा नियुक्त किये गये मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर बैंक की सेवा में रहने के योग्य नहीं रहेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकेगी।

13 त्याग–पत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1. कोई कर्मचारी, जो बैंक की सेवा छोड़ना चाहता है, तो उसको बैंक को 3 माह का नोटिस देना होगा। अस्थाई कार्मिक को बैंक की सेवा छोड़ने के लिए एक माह का नोटिस देना होगा।
2. यदि कोई कार्मिक सेवा छोड़ने के लिए निर्धारित अवधि से कम समय का नोटिस देता है, तो उसके वेतन एवं अन्य जमाओं से उस नोटिस की बकाया अवधि की

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

राशि की कटौती की जाएगी। यदि कार्मिक की कोई बकाया राशि नहीं हो, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

3. बैंक का कोई कार्मिक किसी राजनैतिक पार्टी से संबंध नहीं रखेगा तथा कर्मचारी (गृहनिर्माण या वेतनभोगी) सहकारी समिति/संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी सहकारी संस्था के संचालक मण्डल सदस्य हेतु तथा स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था, विधानसभा और लोकसभा आदि का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको बैंक प्रबन्ध निदेशक को 3 माह का नोटिस अथवा 3 महीने के वेतन के साथ त्यागपत्र देना होगा। ऐसे त्यागपत्र को संचालक मण्डल द्वारा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख से पूर्व स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसा त्यागपत्र स्वेच्छा से पद त्यागने की श्रेणी में माना जायेगा।

14 अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति

बैंक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु राजस्थान सरकार के अनुरूप होगी, जो वर्तमान में 60 वर्ष है। किसी भी स्थिति में कार्मिक के सेवाकाल में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। स्थाई कर्मचारी द्वारा सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जायेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप रहेगी। व्यक्तिगत अनुबंध पर नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को अधिकतम 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बैंक में रखा जा सकेगा।

15 कार्मिकों के लिए अयोग्यता

यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में निर्णय हो गया है अथवा जिसने राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 40 का उल्लंघन किया है तो वह कार्मिक सेवा में नहीं रह सकता है और बैंक की सेवा के लिए यह अयोग्य माना जावेगा। उक्त दोनों में से किसी भी अयोग्यता के लागू होते ही कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

अध्याय–5

(अनुशासनात्मक कार्रवाईयाँ इत्यादि)

16 बैंक प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि वह कार्मिक के कर्तव्यपालन, व्यवहार एवं अनुशासन हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करें, जिनकी पालना प्रत्येक कार्मिक करेगा।

17 अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा अपील के नियम

1. बैंक कार्मिकों द्वारा अनुशासनहीनता, लघु एवं गंभीर दुराचरण करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नियम प्रक्रिया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 अनुसार की जायेगी।
2. प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं लघु शास्ति से दण्डित करने, जिसमें निलम्बन करना भी सम्मिलित है, संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
3. प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकारी ग्रेड ''डी'' एवं अधिकारी ग्रेड ''डी'' से नीचे के कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार वृहत शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी भी सम्मिलित है।
4. प्रबंध निदेशक, अधिकारी ग्रेड ''डी'' से उच्च श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध वृहत शास्ति (Major Penalty) हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा, जॉच करवा सकेगा एवं सेवा समाप्ति को छोड कर वृहत शास्ति (Major Penalty) के अन्तर्गत अन्य दण्ड से दण्डित कर सकेगा। सेवा समाप्ति के लिए प्रबन्ध निदेशक, संचालक मण्डल/प्रशासक को प्रस्ताव प्रस्तुत कर संचालक मण्डल/प्रशासक के निर्णयानुसार ही कार्यवाही करेगा।
5. निलम्बन की अवधि में कार्मिक को निम्न प्रकार निर्वाह भत्ता दिया जावेगा–

   (i) यदि कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है तो प्रथम 180 दिनों तक निर्वाह भत्ता उसके वेतन का 1/2 (आधा) दिया जायेगा। यदि 180 दिन पश्चात् भी जाँच जारी रहती है तो निर्वाह भत्ते की दर उसके वेतन का 3/4 होगी। यदि आरोपी कर्मचारी द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों के कारण जांच में 180 दिन से अधिक समय लगता है, तो निर्वाह भत्ता वेतन का आधा ही दिया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

(ii) यदि जाँच में कार्मिक निर्दोष पाया जाए तो उसकी निलम्बन अवधि को भी ड्यूटी अवधि ही माना जायेगा, वह अवधि सामान्य सेवा मानी जाएगी और वह निलम्बन से पूर्व जिस वेतन व भत्ते का अधिकारी था, वही वेतन–भत्ते उसको देय होंगे। निलम्बन की अवधि में दिये भत्ते की राशि इसमें से काटी जायेगी।

(iii)निलम्बन अवधि में कार्मिक कोई अन्य कार्य नहीं करेगा और वह निलम्बन अवधि में मुख्यालय भी नहीं छोड़ेगा। वह प्रतिदिन मुख्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर करेगा, ऐसी स्थिति में ही उसको निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

(iv) निलम्बन, बर्खास्तगी अर्थात् सेवा से पदच्युति के आदेश जारी होने के साथ ही प्रभावी होंगे, चाहे वे कार्मिक को उपलब्ध नहीं हुए हों। यदि ऐसे आदेशों को उस कार्मिक को तामील करने में कोई व्यवधान हो, तो ऐसे आदेश कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अन्तिम पते पर चस्पा करवाए जा सकेंगे या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जा सकेंगे और ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि इनकी तामीली संबंधित व्यक्ति को हो गई है।

6. अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी–बैंक के प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों को छोड़कर अन्य सभी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बैंक के प्रबन्ध निदेशक सक्षम अधिकारी होंगे तथा प्रबंध निदेशक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संचालक मण्डल/प्रशासक अधिकृत होगा।

7. पुनः निरीक्षण अधिकारी/अपीलीय अधिकारी

(i) प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्मिक के विरुद्ध दिए गए निर्णय की अपील बैंक के संचालक मण्डल/प्रशासक के पास की जायेगी। संचालक मण्डल/प्रशासक का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के दण्ड आदेशों के जारी होने के 60 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी।

(iii) बैंक के प्रबंध निदेशक (प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त) के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार संचालक मण्डल/प्रशासक को होगा, जिसकी अपील रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर को की जा सकेगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

अध्याय–6
(वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाए)

18 वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं

बैंक के कार्मिकों को देय वेतनमान, वेतनमानों में स्थिरीकरण, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, स्थानान्तरण भत्ते, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय पूनर्भरण, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विकलांग भत्ता, समर्पित अवकाश, कैशियर भत्ता, साईकिल भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता एवं विशेष भत्ते बैंक के संचालक मण्डल द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार लागू नियमानुसार देय होंगे।

19 भविष्य निधि अंशदान

1. बैंक के कार्मिक को बैंक के संचालक मण्डल द्वारा भविष्य निधि एक्ट/रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार लागू नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान दिया जाएगा।
2. **बोनस /एक्सग्रेशिया** –यदि बैंक में बोनस एक्ट लागू है, तो कार्मिक इसके न्यूनतम लाभ के अधिकारी होंगे। न्यूनतम दर से अधिक बोनस बैंक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संचालक मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् दिया जा सकेगा। बैंक कर्मियों को संचालक मण्डल की स्वीकृति से नियमानुसार एक्सग्रेशिया दिया जा सकेगा।

20 ग्रेच्यूटी

बैंक के कार्मिक को बैंक के संचालक मण्डल द्वारा ग्रेच्यूटी अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू नियमानुसार ग्रेच्यूटी दी जाएगी।

21 सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान

सेवानिवृति के समय शेष जमा उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान अंतिम मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के आधार पर अधिकतम 300 दिवस का किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो वह सीमा स्वतः ही लागू होगी।

22 कटौतियाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

कार्मिक को भुगतान की जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि में से निम्न प्रकार की कटौतियाँ करने के लिए बैंक प्रबन्धन पूर्ण रूप से अधिकृत होगा :–

(1) विधिवत रूप से दिए गये किसी भी आर्थिक दण्ड की राशि।
(2) अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण वेतन से कटौती।
(3) कार्मिक द्वारा जानबूझकर अथवा लापरवाही से हुई बैंक की सम्पत्ति के नुकसान की वसूली। इस प्रकार की वसूली की राशि बैंक के वास्तविक नुकसान की राशि से अधिक नहीं होगी।
(4) कार्मिक द्वारा बैंक की देय राशि अथवा बैंक के हिसाबात में कमी पड़ने वाली राशि।
(5) कार्मिक को दी गई किसी प्रकार की अग्रिम राशि या उसे किसी कारण से भुगतान की गई अधिक राशि।
(6) प्रोवीडेन्ट फण्ड में योगदान की राशि।
(7) कार्मिक द्वारा सेवामुक्त होने के लिये आवश्यक नोटिस की एवज में वेतन राशि।
(8) अधिनियम, नियम, बैंक उपनियमों के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि।
(9) अन्य प्रकार की कटौतियाँ जिनकी वसूली के लिए कार्मिक द्वारा बैंक को अधिकृत किया गया हो या वह राशि जो बैंक वसूल करने का कानूनन अधिकारी हो।

अध्याय–7
(अवकाश एवं कार्यग्रहण समय)

23 अवकाश एवं स्थानांतरण कार्यग्रहण समय

1. कार्मिकों के अवकाश के संबंध में भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा निर्धारित अवकाश अनुसूची अनुसार नियम लागू होगें।
2. स्थानांतरण पर कार्यग्रहण समय 4 दिवस का होगा।
3. कोई भी व्यक्ति यदि कार्यग्रहण की निर्धारित अवधि में अपने नवनियोजित पद पर उपस्थित नहीं होता है, तो वह किसी प्रकार के वेतन एवं अवकाश के लिए अधिकृत नहीं होगा। निर्धारित कार्यग्रहण समय में अपने पद पर उपस्थित नहीं होने पर कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894

अध्याय –8
(विविध)

24 स्थानांतरण नीति

बैंक की सेवाएं संवेदनशील होने के कारण बैंक का संचालक मंडल स्थानांतरण नीति बनायेगा, जिसमें कम से कम 3 वर्ष पश्चात् ग्रेड 'डी' के अधिकारी एवं लिपिकों/बैंकिंग सहायकों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। प्रबंध निदेशक/अधिकारी ग्रेड–ए एवं बी/आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित स्टाफ पर यह नियम लागू नहीं होगा। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

25 संशोधन एवम् व्याख्या

1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को इन सेवानियमों में समय–समय पर संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार किया गया संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन उस तारीख से लागू माना जाएगा, जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर द्वारा निश्चित की गई हो।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को इन सेवानियमों की व्याख्या करने का अधिकार होगा और वह व्याख्या सभी मामलों में पूर्ण समझी जाएगी।

****

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Registrar
Date: 2025.06.20 18:27:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15989894